न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री सन्तोष कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 49 / 2022 / प्रार्थना पत्र

उनवान

1. छीतरलाल पि. नानूराम जाति भील नि. गुराडिया तहसील सुनेल
2. जीवन कटारा पि. छीतरलाल जाति भील नि. गुराडिया तहसील सुनेल

– प्रार्थीगण

बनाम

1. कन्हीराम पि. हरिसिंह जाति गुर्जर नि. गुराडिया तहसील सुनेल
2. केसरबाई पुत्री कंवरलाल जाति गुर्जर नि. गुराडिया तहसील सुनेल
3. गुडडीबाई पुत्री हरिसिंह जाति गुर्जर नि. गुराडिया तहसील सुनेल
4. गायत्रीबाई पत्नि गोपाललाल जाति गुर्जर नि. गुराडिया तहसील सुनेल
5. जमनाबाई पत्नि हरिसिंह जाति गुर्जर नि. गुराडिया तहसील सुनेल
6. धापूबाई पत्नि कंवरलाल जाति गुर्जर नि. गुराडिया तहसील सुनेल
7. निर्मलाबाई पुत्री गोपाललाला जाति गुर्जर नि. गुराडिया तहसील सुनेल
8. परमानन्द पि. हरिसिंह जाति गुर्जर नि. गुराडिया तहसील सुनेल
9. भगवानसिंह पि. कंवरलाल जाति गुर्जर नि. गुराडिया तहसील सुनेल
10. मंजुबाई पुत्री गोपाललाल जाति गुर्जर नि. गुराडिया तहसील सुनेल
11. रेखाबाई पुत्री हरिसिंह जाति गुर्जर नि. गुराडिया तहसील सुनेल
12. श्यामलाल पि. कंवरलाल जाति गुर्जर नि. गुराडिया तहसील सुनेल
13. संतोषबाई पुत्री हरिसिंह जाति गुर्जर नि. गुराडिया तहसील सुनेल
14. राज.सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील प्रार्थीगण – श्री हुकुमचन्द कुमावत

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.07.22 16:09:02 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक : 6.7.2022

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता धारा 251 ए रा.टी.एक्ट. के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गुराडिया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

(सन्तोष कुमार मीना,
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

तहसील सुनेल की आराजी ख.नं. 457 रकबा 0.5817 हेक्टर भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जिस पर प्रार्थीगण अपने बाप दादाओ के जमाने से काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी पर आने जाने हेतु सरकारी रास्ता ख.नं. 500 पर उत्तर दिशा से चलकर खुरंजा सडक बनी हुई है। इस रास्ते पर ख.नं. 461 पर पूर्व से पश्चिम होकर पुनः उत्तर से दक्षिण दिशा में ख.नं. 461 में चलकर ख.नं. 457 पर पहुॅचता है। इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है एवं यह सनातनी रास्ता है। प्रतिवादीगण ने उक्त रास्ते पर तार खम्भे लगाकर रास्ता को संकडा कर दिया है जिससे प्रार्थीगण को आने जाने व सामान लाने ले जाने में परेशानी आ रही है। प्रार्थीगण लडाई झगडा एवं विवादो से बचने के लिये 15 फीट चौडाई का रास्ता डीएलसी दर से भूमि का मुआवजा चुकाकर प्राप्त करना चाहते है। वाद कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 6 माह पूर्व उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थीगण ने तार खम्भे लगाकर सनातनी रास्ते को 15 फीट से संकरा कर 5–6 फीट कर दिया।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकर कर ग्राम गुराडिया की आराजी ख.नं. 457 पर पहुॅचने के लिये ख.नं. 461 में संलग्न नक्शे में अंकित ए से बी स्थान पर 15 फीट चौडा नवीन रास्ता कायमी का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र के साथ नक्शा ट्रेस एवं ग्राम गुराडिया की जमाबंदी सं. 2075–78 के खाता सं. 56 , 21 की प्रति एवं आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ उनको रूक रूक कर तीन बार आवाजे लगाई गई परन्तु अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रकरण में तहसीलदार सुनेल ,भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट रिपोर्ट ली गई।

तहसीलदार सुनेल की रिपोर्ट दिनांक 03.06.2021 , 06.07.2022 के अनुसार ग्राम गुराडिया की ख.नं. 457 पर पहुॅचने के लिये ख.नं. 461 की उत्तरी मेड व पश्चिमी मेड पर लगभग 6 फीट चौडा रास्ता [illegible] हुआ है जो कि चालू है। प्रार्थी को अपनी आराजी ख.नं. 457 पर आने जाने के लिये 12 फीट चौडा रास्ता हेतु अप्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 461 की उत्तरी मेड पर 99 X 12 = 1188 वर्ग फीट अर्थात 0.0110 हे. एवं पश्चिमी मेड पर 346.[illegible] 12 = 4158 वर्ग फीट अर्थात 0.0386

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.07.22 16:09:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

(सन्तोष कुमार मीना,
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

हे. इस प्रकार ख.नं. 461 में से कुल 0.0496 हे. भूमि नवीन रास्ता कायमी हेतु जावेगी। ग्राम गुराडिया की सिचिंत कृषि भूमि की डीएलसी दर 567445 रूपये प्रति हेक्टर है।

पत्रावली एवं तहसीलदार सुनेल की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में यह पाया कि प्रार्थीगण को ग्राम गुराडिया की अपने खातेदारी की आराजी ख.नं. 457 में आने जाने के लिये 12 फीट चौडा रास्ता हेतु अप्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 461 की उत्तरी मेड पर 99 X 12 = 1188 वर्ग फीट अर्थात 0.0110 हे. एवं ख.नं. 461 की पश्चिमी मेड पर 346.5 X 12 = 4158 वर्ग फीट अर्थात 0.0386 हे. इस प्रकार ख.नं. 461 में से कुल 0.0496 हे. भूमि नवीन रास्ता कायमी हेतु दिया जा सकता है। उक्त नवीन रास्ता कायमी से होने वाली अप्रार्थीगण की भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु प्रार्थीगण को ग्राम गुराडिया की सिचिंत कृषि भूमि की डीएलसी दर 567445 रूपये प्रति हेक्टर की दर से जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित दर का दोगुना प्रतिकर 56300 रूपये का भुगतान करना होगा।

आदेश

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम गुराडिया की आराजी ख.न. 457 पर पहुँचने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 461 की उत्तरी मेड पर 99 X 12 = 1188 वर्ग फीट अर्थात 0.0110 हे. एवं ख.नं. 461 की पश्चिमी मेड पर 346.5 X 12 = 4158 वर्ग फीट अर्थात 0.0386 हे. इस प्रकार ख.नं. 461 में से कुल 0.0496 हे. भूमि नवीन रास्ता कायमी दिया जाता है एवं अप्रार्थीगण को होने वाली क्षति के कारण प्रार्थीगण को ग्राम गुराडिया की सिचिंत कृषि भूमि की डीएलसी दर 567445 रूपये प्रति हेक्टर की दर से से जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित दर का दोगुना प्रतिकर 56300 रूपये का भुगतान अप्रार्थीगण को किये जाने का आदेश दिया जाता है।

आदेश आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

सन्तोष कुमार मीना, उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.07.22 16:09:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़